

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या

2056 / 2057 / 2058 / 2059 / 2011

जिला.....उदयपुर.....

उनवान- लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की त
में जारी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

27.03.2015

खण्डपीठ

श्री मदनलाल - सदस्य

आशा कुमारी) - सदस्य

अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक श्री वी.के.पारीक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 के जरिये प्रारम्भ की गई एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के कारण प्रस्तुत अपीलों को विद्वद्ग चाहते हैं। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

फलस्वरूप श्री वी.के.पारीक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलें 2056/2057/2058/ एवं 2059/2011/उदयपुर विद्वद्ग करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपीलें जरिये विद्वद्ग खारीज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

(आशा कुमारी)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य